संख्या-62/2026/I-1281475/एस-14/38-2-2026/38-2099-99-16-2026

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय,
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बक्शी का तालाब, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 26 मार्च, 2024

विषय-दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान की मानक मद-01-वेतन से उसी लेखाशीर्षक की विभिन्न मानक मदों में धनराशि के पुनर्विनियोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-734/प्रशि0/बजट-4(14)/2025-26 दिनांक 27 जनवरी, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुदान संख्या-013 के "लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-04-दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास एवं शोध संस्थान बक्शी का तालाब, लखनऊ" के मानक मद-01 वेतन में हो रही बचत धनराशि से **रू0 218.35 लाख (रूपये दो करोड़ अट्ठारह लाख पैंतीस हजार मात्र) का पुनर्विनियोग बजट (मैनुअल बी0एम0-9 भाग-1) के अनुसार किये जाने का अनुरोध किया गया है।**

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-013 के लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-04-दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास एवं शोध संस्थान बक्शी का तालाब, लखनऊ के मानक मद-01 से मानक मद-01 में हो रही बचत की धनराशि से 2515-00-102-04-00 दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास 29-अनुरक्षण रू0 88.81 लाख, 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण रू0 48.52 लाख, 15-गाड़ियों का अनुरक्षण रू0 9.49 लाख एवं 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान रू0 71.53 लाख अर्थात कुल धनराशि **रू0 218.35 लाख (रूपये दो**

करोड़ अट्ठारह लाख पैंतीस हजार मात्र) के पुनर्विनियोग किये जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य महानिदेशक, **दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ** द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(3) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।

(4) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(5) वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व **दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ** के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(6) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व महानिदेशक, **दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ** का होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(10) प्रकरण में अपेक्षित अन्य प्रशासनिक शर्तों के समावेश/निर्धारण का दायित्व **महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ** का होगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञापसंख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय लेखाशीर्षक-2515001020400 (दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शी का तालाब लखनऊ) के नामें डाला जायेगा।

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	013	2515001020400 (दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शी का तालाब लखनऊ)	29-अनुरक्षण	88,81,000 (रूपये अट्ठासी लाख इक्यासी हजार मात्र)
2	013	2515001020400 (दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शी का तालाब लखनऊ)	12-कार्यालय फर्नीचर	48,52,000 (रूपये अड़तालीस लाख बावन हजार मात्र)
3	013	2515001020400 (दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शी का तालाब लखनऊ)	15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	9,49,000 (रूपये नौ लाख उनचास हजार मात्र)
4	013	2515001020400 (दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शी का तालाब लखनऊ)	58-आउट सोर्सिग सेवाओं हेतु भुगतान	71,53,000 (रूपये इक्हत्तर लाख तिरपन हजार मात्र)
			कुल योग	**रू0 218.35 लाख (रूपये दो करोड़ अट्ठारह लाख पैंतीस हजार मात्र)**

भवदीय,
रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

संख्या-62/2026/I-1281475/38-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 ,प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अपर आयुक्त (वित्त) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।

5- महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।

6- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

7- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

8- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग-1/2 तथा नियोजन अनुभाग-3

9- ग्राम्य विकास अनु0-5/8 ।

10- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,
चन्द्रिका प्रसाद
उप सचिव।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ :- बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A038-20252026-38-2099-99-16-2026

विषय:- दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान की मानक मद-01-वेतन से उसी लेखाशीर्षक की विभिन्न, मानक मदों में धनराशि के पुनर्विनियोग के संबंध में।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
013	251500102040 0 (दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (बक्शी का तालाब लखनऊ)	01 (वेतन)	6,50,00,000 रुपये छः करोड़ पचास लाख मात्र	2,18,35,500 रुपये दो करोड़ अठारह लाख पैंतीस हजार पांच सौ मात्र	2,18,35,500 रुपये दो करोड़ अठारह लाख पैंतीस हजार पांच सौ मात्र	२१८३५०००	४३१६५०००	2025-2026

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
013	2515001020400 (दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान बक्शी का तालाब लखनऊ)	29 (अनुरक्षण)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	88,81,000 रुपये अट्ठासी लाख इक्यासी हजार मात्र	८८८१०००	९८८१०००	2025-2026
013	2515001020400 (दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान बक्शी का तालाब लखनऊ)	12 (कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण)	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	48,52,500 रुपये अड़तालीस लाख बावन हजार पाँच सौ मात्र	4852000 -	5352000 -	2025-2026
013	2515001020400 (दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान बक्शी का तालाब लखनऊ	15 (गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद)	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	9,49,000 रुपये नौ लाख उनचास हजार मात्र	९४९०००	२९४९०००	2025-2026
013	2515001020400 (दीन दयाल उपाध्याय	58 (आउट सोर्सिंग	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	71,53,000 रुपये इकहत्तर लाख	7153000	17153000	2025-2026

	ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, बक्शीका तालाब लखनऊ)	सेवाओं हेतु भुगतान)		तिरेपन हजार मात्र			

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ में कार्मिकों के सेवानिवृत्ति उपरांत पद रिक्त होने तथा आयोग द्वारा सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के पदों को न भरे जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2025-26 में मानक मद-01 वेतन में लगभग धनराशि 225.00 लाख (रूपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) बचत होने की संभावना है।

2- दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान में वर्ष 2025-26 में मानक मद 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, 15-गाड़ियों का अनुरक्षण (पी0ओ0एल0), 29-अनुरक्षण एवं 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के लिए पर्याप्त बजट व्यवस्था न होने के कारण कुल धनराशि रू0 218.355 लाख की अपरिहार्य आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 के निर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर ई संख्या बजट-1-645 दिनांक 24-03-2026

संख्या: आर ई < > 2025-26 दिनांक फरवरी 2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 प्रयागराज

(चन्द्रिका प्रसाद)
उप सचिव।

Digitally signed by
RAJENDRA KUMAR
Date: 24-03-2026
13:04:04

(राजेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव)